

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 539/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

कृष्णादेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।

-वादी

बनाम

1. भीमसैन पुत्र हंसराज जाट निवासी चक 26 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
2. हंसराज पुत्र धुकलराम जाट निवासी चक 26 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)।
3. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अर्जुनलाल वर्मा वकील-वादी

श्री मदनलाल वर्मा प्रतिवादी सं. 1, 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 09.12.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि गन्धेली बारानी के प. न. 231/436(196) के किला 18 की 0.2530 है0 में से 0.0730 है0 दक्षिणी पासा, किला न. 19 की 0.2530 है0 में से 0.0730 है0 दक्षिणी पासा, किला न. 20 की 0.2530 है0 में से 0.0700 है0 दक्षिणी पासा पूर्व से पश्चिम लम्बी, किला न. 21/2 की 0.2270 है0 में से पूर्वी पासा की 0.2160 है0, किला न. 22/2 की 0.2270 है0, किला न. 23/2 की 0.2270 है0 कुल तादादी 0.8860 है. बारानी भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.12.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
जिला हनुमानगढ़

